भारत में संतुलित औद्योगिक वितरण की सुनिश्चितता

वित्त संबंधी स्थायी समिति (SCoF) ने सरकार से सभी राज्यों में **उद्योगों का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक कार्य योजना** तैयार करने का आग्रह किया है। समिति ने स्पष्ट किया कि उद्योग राज्य का विषय है किंतु राष्ट्रीय औद्योगिक नीति को आकार देने में केंद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

SCoF द्वारा निष्कर्षित प्रमुख मुद्दे

- **अवरुद्ध विनिवेश:** गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में **घाटे में चल रहे CPSE** का निजीकरण/समापन करने की दिसंबर 2021 की नीति के बाद से कोई स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।
- **कम निवेश दर:** भारत की निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 31% है जो 8% की निरंतर GDP वृद्धि के लिये अपर्याप्त है।
- **राज्य द्वारा अपर्याप्त प्रोत्साहन:** राज्य PSU सुधारों के लिये अप्रभावी केंद्रीय पैकेज।
- **उच्च राज्य ऋण:** इससे बुनियादी ढाँचा संबंधी और औद्योगिक निवेश सीमित होता है।

SCoF द्वारा की गई अनुशंसाएँ

- **विनिवेश और सुधार:** घाटे में चल रहे CPSE के समापन की प्रक्रिया में तेज़ी लाना, PSU सुधार प्रोत्साहनों का सुदृढ़ीकरण।
- **राष्ट्रीय औद्योगिक कार्य योजना: क्षेत्रीय संतुलन** और **समतामूलक विकास** को लक्षित करना।
- **निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के 35% तक बढ़ाना:** सार्वजनिक-निजी निवेश में वृद्धि करना।
- **अनुकूलित राजकोषीय सुधार:** पूंजी/सामाजिक व्यय को प्रभावित किये बिना अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्यों को सहायता प्रदान करना।

असमान औद्योगिक विकास के कारण

कारक	प्रभाव
ऐतिहासिक	औपनिवेशिक संकेंद्रण (जैसे, बंगाल में जूट, मुंबई में कपास)
भौगोलिक और बुनियादी ढाँचा	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के समक्ष भू-भाग, विद्युत् और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएँ विद्यमान हैं
कुशल जनशक्ति	बंगलूरू जैसे तकनीकी केंद्रों का पर्याप्त विकास जारी है जबकि पिछड़े राज्यों में प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचे का अभाव है
नीतिगत कमियाँ	अग्रलक्षी नीतियों वाले राज्य उद्योगों को आकर्षित करते हैं (जैसे, तमिलनाडु)
समूहीकरण	औद्योगिक समूह क्षेत्रीय प्रभुत्व का सुदृढ़ीकरण करते हैं (जैसे, गुजरात, तमिलनाडु)

औद्योगिक असंतुलन के निहितार्थ

- **क्षेत्रीय असमानता:**
  - **औद्योगिक राज्य (GSDP):** महाराष्ट्र ₹45.3 लाख करोड़ (2024-25), तमिलनाडु ₹17.3 लाख करोड़ (2024-25) ⟶ उच्च आय, रोज़गार, बुनियादी ढाँचा।
  - **पिछड़े राज्य (GSDP):** बिहार ₹8.5 लाख करोड़ (2023-24), झारखंड ₹2.9 लाख करोड़ (2023-24), पूर्वोत्तर ⟶ निम्न GDP, अपर्याप्त विकास, व्यापक अंतराल।
- **राजकोषीय असमानताएँ:**
  - **औद्योगिक राज्य** अधिक कर और निवेश अर्जित करते हैं।
  - **वित्त वर्ष 24 में प्रत्यक्ष कर योगदान:** शीर्ष 5 राज्य (महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात) = 72%; उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश = 5%।

- **प्रवासन और शहरी तनाव:** 40.2 करोड़ प्रवासी (EAC-PM, 2023); महानगरों पर दबाव।
- **संघीय तनाव:** उन्नत राज्य स्वायत्तता की माँग करते हैं जबकि पिछड़े राज्य विशेष पैकेज की मांग करते हैं ⟶ केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव।
- **सामाजिक अशांति:** औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष है और वे इसका विरोध करते हैं तथा राजनीतिक अलगाव का सामना करते हैं।

सुझाए गए उपाय

- **औद्योगिक स्थान नीति:** प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना; **कर में छूट, पूंजीगत सब्सिडी** और **रियायती ऋण प्रदान करना।**
- **बुनियादी ढाँचा निवेश:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर और पूर्व में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), **औद्योगिक गलियारों, माल ढुलाई गलियारों** का विस्तार करना।
- **कौशल विकास:** क्लस्टर-तैयार कार्यबल के लिये पिछड़े क्षेत्रों में कौशल भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
- **क्लस्टर विकास:** क्षेत्रीय केंद्र (जैसे, बिहार में वस्त्र उद्योग, पूर्व में कृषि केंद्र)।
- **केंद्र-राज्य समन्वय: समतामूलक औद्योगीकरण** के लिये केंद्रीय योजनाओं में राज्य नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

भारत में ग्रीन हाइड्रोजन

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक सालाना 10 मीट्रिक टन GH_2 का निर्यात कर सकेगा (वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता)।

भारत का GH_2 विजन: MAPS फ्रेमवर्क

घटक		लक्ष्य
M – बाज़ार नेतृत्व	→	वर्ष 2030 तक वैश्विक GH_2 बाज़ार में **10%** हिस्सेदारी
A – उत्सर्जन में कमी	→	प्रति वर्ष **50 MMT CO_2** उत्सर्जन की कमी लाना
P – उत्पादन वृद्धि	→	**प्रति वर्ष 5 MMT GH_2** क्षमता का निर्माण
S – संधारणीय रोज़गार	→	**6+ लाख पर्यवारण हितैषी रोज़गार** का सृजन

चुनौतियाँ: CAGE फ्रेमवर्क

चुनौती	विवरण
C – लागत	GH2 की लागत ग्रे हाइड्रोजन से अधिक, **$4–4.5/किग्रा** है
A – पूँजी की व्यवस्था	इलेक्ट्रोलाइज़र और नवीकरणीय ऊर्जा में उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता
G – बुनियादी ढाँचा संबंधी अभाव	परिवहन, भंडारण और ईंधन पुनर्भरण संबंधी नेटवर्क का अभाव
E – आर्थिक व्यवहार्यता	कार्बन मूल्य निर्धारण के अभाव से GH_2 की प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है

समाधान: POWER फ्रेमवर्क

उपाय	विवरण
P – कार्बन मूल्य निर्धारण	**कार्बन कर/बाज़ार** का क्रियान्वन
O – दायित्व संबंधी अधिदेश	**इस्पात, उर्वरक, रिफाइनिंग** में GH_2 अधिदेश का प्रवर्तन
W – बुनियादी ढाँचे का विस्तार	इलेक्ट्रोलाइज़र, भंडारण, पाइपलाइन, निर्यात गलियारों का निर्माण
E – आर्थिक पुनर्आवंटन	जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी के स्थान पर **प्रोत्साहन/VGF** प्रदान करना
R – रिस्क पूलिंग	**सुरक्षित, बैंक योग्य अनुबंधों और मूल्य स्थिरता** को सक्षम करने हेतु समग्र मांग।

संबंधित पहलें

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना
- **कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन में ग्रीन हाइड्रोजन केंद्रों का विकास**

बन्धित श्रम

⌘ **हरियाणा मानवाधिकार आयोग** ने एक **14 वर्षीय किशोर** को **बन्धित श्रमिक** के रूप में रखे जाने तथा चोट लगने के बाद निस्सहाय रहने दिये जाने के मामले को संज्ञान में लिया।

परिभाषा (राष्ट्रीय श्रम आयोग): वह श्रमिक जो लिये गए ऋण के कारण एक विशिष्ट अवधि तक बंधित रहता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान: मूल अधिकार- अनुच्छेद 21, 23, 24, DPSP - अनुच्छेद 42, 43, 46

संबंधित कानून:

- बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
- बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (वर्ष 2016 में संशोधित)
- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- भारतीय न्याय संहिता, 2023- विधि-विरुद्ध अनिवार्य श्रम संबंधी अपराध का प्रावधान

संबंधित वैश्विक ढाँचे:

- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (CRC), 1989
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अभिसमय 182 (बाल श्रम के निकृष्टतम रूप, 1999), कन्वेंशन 29 (बलात् श्रम कन्वेंशन, 1930)- भारत द्वारा अनुसमर्थित

बन्धित श्रम के प्रणालीगत कारण

⌘ नौकरशाही अक्षमता
⌘ अत्यधिक गरीबी
⌘ शिक्षा का अभाव
⌘ ऋण जाल
⌘ कृषि क्षेत्र में शोषण
⌘ लैंगिक भेदभाव (लड़कियाँ अधिक सुभेद्यता रखती हैं)
⌘ नियोक्ताओं द्वारा शोषण

बन्धित श्रम के उत्सादन हेतु उपाय

⌘ **कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करना (बन्धित श्रम (उत्सादन) अधिनियम** को सशक्त बनाना, डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करना)
⌘ **बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना** (संविधान का अनुच्छेद 21A)
⌘ **परिवारों को सहयोग देना (मनरेगा** जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से)
⌘ **जागरूकता का प्रसार** (विधिक अधिकारों एवं मानव गरिमा को बढ़ावा देना)
⌘ **समुदायों को एकजुट करना** (सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना)
⌘ **गैर-सरकारी संगठनों को सशक्त बनाना** (पुनर्वास में सहायता)

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त

UNHCR ने श्रीलंका में वापस लौटने वाले **शरणार्थियों को गिरफ्तार किये जाने के कारण** भारत से **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी** को **अस्थायी रूप से निलंबित** कर दिया है।

मुख्य बिंदु

⌘ **परिचय:**
  ❖ **स्थापना:** वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित।
  ❖ **मुख्यालय:** जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड), 137 देशों में क्रियाशील।
  ❖ **अधिदेश:** सुरक्षा, सहायता और स्थायी समाधान (शरण, संप्रत्यावर्तन/स्वदेश वापसी, एकीकरण, पुनर्वास)।
⌘ **विधिक ढाँचा (1951 शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल):**
  ❖ इसमें **शरणार्थी** की प्रास्थिति को परिभाषित किया गया है।
  ❖ **नॉन-रिफाउलमेंट** (खतरे में वापसी नहीं) का प्रवर्तन।

- ❖ **आवासन, शिक्षा, कार्य, विधिक सुरक्षा संबंधी अधिकारों** का प्रावधान।
- ❖ **युद्ध अपराधों/गंभीर अपराधों के दोषियों** को इससे बाहर रखा गया है।

⌘ **भारत की स्थिति:**

- ❖ वर्ष 1951 सम्मेलन या वर्ष 1967 प्रोटोकॉल का **हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं।**
- ❖ शरणार्थियों का **प्रबंधन सामान्य आव्रजन कानूनों** के अंतर्गत किया जाता है।
- ❖ प्रमुख शरणार्थी समूहों का शरणस्थल: **श्रीलंकाई तमिल, तिब्बती, अफगान, रोहिंग्या।**
- ❖ **मानवतावादी आधार** पर UNHCR के साथ कार्य करता है।

स्यूडोमोनास एरुगिनोसा

हाल ही में किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि **स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जीवाणु** में समान कोशिकाओं के भीतर भी दो अलग-अलग जीन (द्विस्थिर जीन) हो सकते हैं, जहाँ समान कोशिकाएँ **glpD** जीन की अभिव्यक्ति में भिन्नता दर्शाती हैं, जिससे उनकी संक्रमण क्षमता प्रभावित होती है। यह भिन्नता **एपिजेनेटिक वंशानुक्रम** का एक रूप है।

⌘ **विशेषताएँ:**

- ❖ **ग्राम-नेगेटिव, एरोबिक, छड़नुमा जीवाणु**
- ❖ **मृदा और जल में,** विशेष रूप से स्वच्छ जल में पाया जाता है

⌘ **संक्रमण की संभावना:**

- ❖ समुदाय-उपार्जित संक्रमणों का कारण (जैसे- निमोनिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना)। भारत में यह लगभग 30% **अस्पताल-जनित संक्रमणों (HAIs)** के लिये उत्तरदायी है (जैसे: वेंटिलेटर-संबंधित निमोनिया, रक्त प्रवाह संक्रमण)।
- ❖ प्लास्टिक सतहों पर पनपता है, **केराटाइटिस (नेत्र संक्रमण)** तथा **घातक जलन संक्रमणों** का मुख्य कारण है।

⌘ **प्रतिजैविक प्रतिरोध:**

- ❖ **कठोर बाह्य झिल्ली** और उत्प्रवाह पंप एवं उत्परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रतिरोधी।
- ❖ केवल कुछ प्रतिजैविक जैसे **टॉब्रामाइसिन (Tobramycin)** और **एमिकैसिन (Amikacin)** ही प्रभावी हैं।

पल्मायरा पाम वृक्ष

ओडिशा ने पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक मूल्य के कारण **पल्मायरा पाम ट्री (ताड़ वृक्ष) की कटाई को प्रतिबंधित** कर दिया है।

⌘ यह मूलतः **दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया** में पाया जाता है और सूखा-प्रतिरोधी तथा प्राकृतिक तड़ित चालक है।

⌘ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पाया जाता है।

⌘ यह **तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष** है, जिसे **करपगा वृक्षम** के नाम से जाना जाता है।

⌘ **अनुकूल लागत-लाभ अनुपात:** इसका प्रत्येक भाग **उपयोगी** है जो खाद्य, रेशा, ईंधन, औषधीय मूल्य और छत-अस्तर व हस्तशिल्प के लिये सामग्री प्रदान करता है।

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली

DRDO ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत IADWS का पहला उड़ान परीक्षण किया।

⌘ **इसमें एकीकृत देशज रूप से विकसित बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली:**

- ❖ त्वरित प्रतिक्रिया सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें (QRSAM)
- ❖ अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS)
- ❖ निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW)

मिशन सुदर्शन चक्र

↳ इसका लक्ष्य नागरिक और महत्त्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये वर्ष 2035 तक देशज रूप से आयरन डोम रूपी वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना है।